

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी ह

28.6.19

पत्रावली पेश हुई।

वादी अधिवक्ता उप०। प्रतिवादी पैरोकार उप०।

उभय पक्ष को सुना।

वादी ने इस आशय का वाद प्रस्तुत किया है कि वादी एवं अन्य खातेदार की संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा नम्बर 461/235 रकबा 39.07 बीघा मौजा लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह० शिव मे अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि वादी को अपने पिता के फौत होने पर विरासत मे प्राप्त हुई है। राजस्व रेकर्ड मे फौतगी नामान्तरण की कार्यवाई करते समय वादी के नाबालिग होने के कारण उसके रिश्तेदारों द्वारा भूलवंश वादी का घरेलू नाम खानू अंकित करवा दिया गया, जबकि वादी का सही नाम मेहरदीन है। वादी के अन्य सभी आवश्यक सरकारी दस्तावेजो मे भी वादी का नाम मेहरदीन दर्ज है। अतः वादी ने वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्धिकरण हेतु वाद प्रस्तुत किया है।


वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पैरोकार को सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार शिव ने अपने जवाब मे वादी के नाम को दुरुस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। वादी ने ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। वादी ने अपने ब्यान शपथ पत्र में दस्तावेज प्रदर्श करवाये। वादी ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमाबंदी, फौतेदगी नामान्तरण, आधार कार्ड, भामाशह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, सहकारी किसान कार्ड की डायरी, जॉब कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विद्यालय रेकर्ड, परिवार राशन कार्ड व बैंक डायरी व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें वादी का नाम मेहरदीन ही है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 461/235 रकबा 39.07 बीघा मौजा लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह० शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम खानू के स्थान पर मेहरदीन घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव, जिला-बाड़मेर

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिव
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह आई.ए.एस.

वादी :- मेहरदीन पुत्र जुमाखां, जाति-मुसलमान, नि० लक्ष्मीपुरा तह० शिव
बनाम

प्रतिवादी :- 1. राज० राज्य जरिए तहसीलदार शिव।


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
उपस्थिति :- 1. श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एडवोकेट- वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 01 पैराकार उप०।

अन्तिम डिक्री

वादी एवं प्रतिवादीगण को आज दिनांक 28.06.2019 को सहायक कलक्टर शिव के
समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी
जाती है कि:-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 461/235 रकबा 39.07 बीघा
मौजा लक्ष्मीपुरा, पटवार मण्डल मुंगेरिया, तह० शिव की भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी
प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम खानू के स्थान पर मेहरदीन घोषित किया जाता
है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु
आदेशित किया जाता है।

निर्णय आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की
गयी।


(प्रताप सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

